



एशियाई विकास बैंक

भारत : ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं को तैयार करने में राज्य उपयोगिताओं की क्षमता को बढ़ाना

परियोजना का नाम	ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं को तैयार करने में राज्य उपयोगिताओं की क्षमता को बढ़ाना	
परियोजना की संख्या	51308-002	
देश	भारत	
परियोजना की स्थिति	अनुमोदन	
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	तकनीकी सहायता	
निधीयन का स्रोत/राशि	टीए 9455- भारत : ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं को तैयार करने में राज्य उपयोगिताओं की क्षमता को बढ़ाना	
	तकनीकी सहायता विशेष निधि	अमेरिकी डालर 750,000.00
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास	
परिवर्तन के प्रेरक	शासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान निजी क्षेत्र विकास	
सेक्टर/उप-सेक्टर	ऊर्जा - ऊर्जा क्षेत्र विकास तथा संस्थानिक सुधार	
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण विवरण	कुछ लैंगिक तत्व लेन-देन तकनीकी सहायता (टीआरटीए) सुविधा आगामी परियोजनाओं की एक श्रृंखला को परियोजना तैयारी सहायता उपलब्ध कराएगी, इसमें समाविष्ट होगा (i) उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण पुनरुद्धार परियोजना (\$500 मिलियन); (ii) मेघालय विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना (\$150 मिलियन); तथा (iii) तमिल नाडु विद्युत पारिषण सुधार परियोजना (\$500 मिलियन)।	
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	उत्तर प्रदेश तथा मेघालय की राज्य सरकारें दो आगामी परियोजनाओं पर प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन (पीपीआर) एशिया विकास बैंक (एडीबी) वित्त पोषण के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा अनुसमर्थन हेतु तैयार कर रही हैं। इस हेतु अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक निवेश की पहचान करने के लिए विद्यमान विद्युत वितरण कार्यक्रम का सर्वेक्षण करना, नेटवर्क संरूपण और सुरक्षा प्रणालियों को अनुकूल बनाने तथा तकनीकी विनिर्देशनों और बोली प्रलेखों को तैयार करने के लिए विस्तृत अभियांत्रिकी योजना बनाना अनिवार्य है। क्रियान्वयन करनेवाले अभिकरणों के पास ऐसे कर्मचारी नहीं हैं, जो कि इन कार्यों को करने में समर्थ हों तथा टीआरटीए सुविधा निवेश परियोजनाओं को तैयार करने के लिए बाह्य परामर्शक उपलब्ध कराएगी। आगामी परियोजनाओं की परामर्शन आवश्यकता आगामी परियोजनाओं के अवधारणा पत्रों के अनुमोदन के समय अद्यतन की जाएगी तथा टीआरटीए सुविधा के क्षेत्र में होनेवाले परिवर्तन अनुदान-वित्तपोषित टीए परियोजना क्रियान्वयन पर परियोजना क्रियान्वयन अनुदेशों के अनुरूप प्रस्तावित किए जाएंगे।	
प्रभाव	परियोजना परिणाम	
	परिणाम का वर्णन	
	परिणाम की दिशा में प्रगति	
	कार्यान्वयन प्रगति	
	परियोजना आउटपुट्स का विवरण	
	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)	
भौगोलिक अवस्थिति	राष्ट्रव्यापी, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश	

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश		
पर्यावरण पहलू		
अस्वैच्छिक पुनर्वास		
स्वदेशी लोग		
स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श		
परियोजना डिजाइन के दौरान		
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान		
व्यवसाय के अवसर		
परामर्शी सेवाएं	टीआरटीए सुविधा को उत्तर प्रदेश तथा मेघालय राज्यों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुधारने और उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए निवेश आवश्यकताएं सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय परामर्शन फर्म (प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञों के 22.5 व्यक्ति-माह) की परामर्शन सेवाओं की आवश्यकता होगी। विद्युत वितरण कार्यक्रम योजना में अनुभवी परामर्शन फर्म 80 : 20 के गुणवत्ता लागत अनुपात के साथ गुणवत्ता-तथा लागत-आधारित चयन का उपयोग करते हुए नियुक्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तिगत परामर्शकों (अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के 8.5 व्यक्ति-माह और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के 17 व्यक्ति-माह) की नियुक्ति की जाएगी, जिनके पास निम्न का अनुभव हो : (i) एससीएडीए प्रणाली डिजाइन तथा विद्युत नेटवर्क योजना; (ii) विद्युत क्षेत्र आकलन ; (iii) लघु जलीय परियोजनाओं का पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा आकलन ; (iv) विद्युत वितरण नेटवर्क योजना तथा डिजाइन। एडीबी द्वारा परामर्शकों को एडीबी की अधिप्राप्ति नीति (2017, समय-समय पर संशोधितानुसार) तथा इसके सम्बद्ध परियोजना प्रशासन अनुदेशों एवं/अथवा कर्मचारी अनुदेशों के अनुरूप अनुबंधित किया जाएगा। व्यक्तियों के रूप में इन परामर्शकों की नियुक्ति, इन परामर्शकों को आवश्यकता आधार पर अनुबंधित करने के लचीलेपन को सुरक्षित रखने तथा आरंभिक चरण की परियोजनाओं को तैयार करने हेतु अपेक्षित परामर्शन सहायता की प्रकृति से संबंधित अनिश्चितताओं की दृष्टि से न्यायसंगत है।	
प्रापण	लागू नहीं	
जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	परेरा, प्रदीप	
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग	
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी	
निष्पादक अभिकरण	विद्युत मंत्रालय श्रम शक्ति भवन रफ़ी मार्ग नई दिल्ली 110 001	
समयसारणी		
अवधारणा मंजूरी	-	
तथ्य अन्वेषण	-	
एमआरएम	-	
अनुमोदन	08 दिसंबर 2017	
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-	
अंतिम पीडीएस अद्यतन	08 दिसंबर 2017	
टीए 9455- आइएनडी		
मील के पत्थर		
अनुमोदन समापन		
अनुमोदन	हस्ताक्षर की तिथि	प्रभावित तिथि

		मूल				संशोधित	वास्तविक	
08 दिसंबर 2017		-	-	30 जून 2019		-	-	
वित्तपोषण योजना/तकनीकी सहायता उपयोग				संचयी संवितरण				
एडीबी	सहवित्तपोषण	प्रतिपक्ष				कुल	तिथि	राशि
		सरकार	लामार्थी	प्रोजेक्ट का प्रायोजक	अन्य			
750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	08 दिसंबर 2017	0.00
परियोजना पृष्ठ		https://www.adb.org/projects/51308-002/main						
सूचना के लिए अनुरोध		http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51308-002						
निर्माण की तिथि		14 मई 2018						
<p>परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है: क्योंकि पीडीएस प्रगति-में-कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।</p> <p>एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।</p>								